तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
3/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 09/3/2021 को पेश हो।
2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. तहसीलदार खण्डेला का जवाब गत कई पेशियों से लम्बित है लेकिन आदिनांक तक जवाब अप्राप्त है। अतः तहसीलदार खण्डेला का जवाब बंद किया जाता है। तत्पश्चात प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गयी। बरवक्त बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया। पुनश्च इतना लिखते लिखते भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला से जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।
	पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात, भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त जवाब आदि का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादी के दस्तावेजात यथा पेन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड आदि में वादी का नाम भागीरथराम पुत्र गोपीराम ही दर्ज है। भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला ने भी अपने जवाब में उक्त नाम दुरुस्ती हेतु अभिशंषा की है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर वाद, वादी स्वीकार

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
किया जाकर आदेश किया जाता है कि :-	

आदेश

तहत ग्राम रूपपुरा प० ह० गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 238, 239, 357, 358 के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत दर्ज नाम "भागला पुत्र गोपी" के स्थान पर वास्तविक व सही नाम "भागीरथराम पुत्र गोपीराम" दुरुस्त किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 09/3/2021 को हस्ताक्षरित कर न्यायालय की मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला (सीकर)

Scanned with CamScanner